न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 24/2022

रिंकु मीणा पुत्र रामकल्याण पत्नी रघुवीर जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां हाल निवासी माताजी का चौक थामली तहसील बारां जिला बारां

.......वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादनी : श्री लवकुल गौड़

निर्णय दिनांक : 28.10.2022

दायरा दिनांकः 02.03.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादनी के शामालाती खाते की आराजी खाता संख्या 16 पुराना 15 में खसरा नं0 12 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 137 रकबा 1.66 है0, खसरा नं0 324 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 333 रकबा 1.01 है0, खसरा नं0 355 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 373 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 419 रकबा 1.93 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 6.21 है0 वाके माल श्यामपुरा तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादनी का नाम रिंकी पुत्री रामकल्याण दर्ज हो रहा है। जबकि वादनी का वास्तविक नाम रिंकू मीणा पुत्री रामकल्याण है। जिसको वादनी रिंकी पुत्री रामकल्याण के स्थान पर रिंकू मीणा पुत्री रामकल्याण दुरूस्त करवाने की कानूनी अधिकारी है। वादनी का नाम अन्य दस्तावेजों पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में रिंकू मीणा दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में रिंकी पुत्री रामकल्याण के स्थान पर रिंकू मीणा पुत्री रामकल्याण दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम रिंकी पुत्री रामकल्याण के स्थान पर रिंकी उर्फ रिंकू मीणा पुत्री रामकल्याण दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 02.03.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2022/1460 दिनांक 04.10.2022 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अनुसार रिंकी और रिंकू एक ही महिला के नाम है, अन्य अलग–अलग के नही है। अतः राजस्व रेकार्ड में वादनी का सही नाम रिंकी उर्फ रिंकू सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाह वादनी स्वयं एवं हंसराज पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी श्यामपुरा के आधार पर शामालाती खाते की आराजी खाता संख्या 16 पुराना 15 में खसरा नं0 12 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 137 रकबा 1.66 है0, खसरा नं0 324 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 333 रकबा 1.01 है0, खसरा नं0 355 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 373 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 419 रकबा 1.93 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 6.21 है0 वाके माल श्यामपुरा तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादनी का नाम रिंकी पुत्री रामकल्याण के स्थान पर रिंकी उर्फ रिंकू पुत्री रामकल्याण दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादनी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादनी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

(रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल